न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 39/2014/एलआर

धर्मसिंह पिता रतनलाल चौधरी
निवासी किशनपुरा प्रोपराईटर अम्बिका मिनरल्स रेल्वे स्टेशन के पास
गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. राज्य जरिये तहसीलदार, गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
2. ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
क्रमांकः/राजस्व/सा.प्र.आ/12–6( )3/517 दिनांक 05.06.2003

उपस्थित – 1. श्री नरेन्द्र कुमार नाहर – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्रीमती वन्दना चौखडा – राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक– 30.11.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम मुंण का खेडा निकट ग्राम करत्यास तहसील गंगरार मे स्थित राजकीय बिलानाम आराजी नम्बर 45 मिन रकबा 19.80 है0 आराजी 48/485 रकबा 19.33 है0 एवं आराजी नम्बर 386 रकबा 6.48 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 45.61 भू–भाग को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 92 के अन्तर्गत चारागाह हेतु आरक्षित की जाने का आदेश पारित किया जिससे असंतुष्ट एवं दुखित होकर अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है।

2. यह कि आराजी नम्बर 45 मीन रकबा 4.6 है0 एवं आराजी नम्बर 386 मीन रकबा 0.06 है0 भूमि खान एवं भू–विज्ञान विभाग राजस्थान उदयपुर से आदेश क्रमांक नि.खा.भू./चित सी.सी.3/चित सी.सी.3/प.1–7–99/2219 दिनांक 11/09/2003 को 5 है0 भूमि 20 वर्ष की लीज अवधि हेतु माईनिंग लीज प्रयोजनार्थ स्वीकृत किया भूमि का माईनिंग विभाग द्वारा मौके पर की। डिमार्केशन किया जाकर खनन कार्य किया गया। खान एवं भू–विज्ञान विभाग

द्वारा प्रार्थी को चाईनाक्ले खनन हेतु पट्टा स्वीकृत होने से अपीलार्थी का हित निहित हो गया। वक्त स्वीकृति लीज ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा द्वारा एवं तहसीलदार ने अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही कर चाईना क्लेम हेतु स्वीकृत लीज भूमि को बगैर किसी विधिवत कार्यवाही के चारागाह हेतु आरक्षित किये जाने का आदेश पारित किया जो आदेश विधि विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। ग्राम मुंण का खेडा मे 60 घरो की आबादी होकर इस गांव की जनसंख्या 2000 के लगभग है। ग्राम मुंण का खेडा की आबादी मे पशुधन की संख्या को देखते हुए ग्राम मुंण का खेडा के ग्राम वासियो के प्रयोजनार्थ 45.61 है0 भूमि को चरागाह हेतु आरक्षित किये जाने की आवश्यकता नही है। इस हेतु ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा की ग्राम पंचायत ने ग्राम सभा का कोई आम प्रस्ताव पारित नही किया। ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा की ग्राम सभा के प्रस्ताव के विपरीत अधीनस्थ न्यायालय ने भूमि को आरक्षित किये जाने का आदेश पारित किये जाने मे कानूनी वाकियाती भूल की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। ग्राम मुंण का खेडा मे आराजी नम्बर 45 मीन की भूमि पथरीली होकर इस भूमि पर कोई चारा उत्पन्न नही होता है। आरक्षित भूमि पूर्णतया चारागाह हेतु अनुपयोगी है। यह भूमि मंगरी भूमि होकर भूमि के आस–पास भी मंगरी है जहां कभी कोई घास उत्पन्न नही होती है। इन तथ्यो के प्रकाश मे भूमि चरागाह हेतु आरक्षित किये जाना न्यायोचित नही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को ग्राम मुंग का खेडा निवासियो के चरागाह प्रयोजनार्थ आराजी नम्बर 48/485 रकबा 19.33 हे0 भूमि पर्याप्त है। इसके अलावा आराजी नम्बर 45 मीन एवं 386 मीन के क्षैत्रफ लमे 5.12 है0 भूमि जो कि चरागाह प्रयोजनार्थ अपीलार्थी को वर्ष 2003 मे 20 वर्ष की लीज अवधि हेतु स्वीकृत कर दी है के रकबे को कम किये जाने पर कोई आपत्ति नही है। इस रकबे को कम करने के उपरान्त ग्राम मुंण का खेडा के निवासियो को 40.49 है0 भूमि यानि 200 बीघा भूमि चारागाह हेतु उपलब्ध रहती है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी0पी0सी0 भी पेश किया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 05.06.2003 अपास्त फरमाया जावे अथवा प्रकरण पुनः कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

3. अधिवक्ता अपीलान्ट ने लिखित बहस प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 31/03/2003 को बिलानाम सरकार भूमि से आराजी नम्बर 45 मीन, 386 मीन, 48/485, भूमि को चारागाह मे करने हेतु प्रस्ताव भेजा जिस पर कलेक्टर ने आपत्ति की कि जब गांव मे 69.82 है0 भूमि चारागाह मे दर्ज है उसके उपरान्त भी भूमि के इतने बडे रकबे की चारागाह मे क्यो कर आवश्यकता है तथा प्रस्तावित भूमि की अन्य प्रयोजनार्थ तो आवश्यकता नही है। इस आपत्ति का जवाब उपखण्ड अधिकारी गंगरार ने भेजा, 5 मई 2003 के आदेश मे काट–फास कर मई महिने की जगह जुन महिना अंकित कर दिया जिस पर किसी भी अधिकारी के हस्ताक्षर नही है। भूमि राज. सरकार के खान विभाग द्वारा खसरा नम्बर 45 मीन 386 मीन ग्राम मून का खेडा को अपीलार्थी को दिनांक 12/05/1998 को चाइनाक्ले हेतु खनिज रियायत नियम 1960 के अन्तर्गत आंवटित कार्य का आदेश पारित किया, जिसका नक्शा आदेश के साथ संलग्न है। मून का खेडा की आराजी 45 मीन, 386 मीन का नक्शा संलग्न किया गया। वन विभाग की आपत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है। आंवटित की जाने वाली भूमि का आराजी नम्बर वन विभाग के नक्शे मे अंकित है। इस आदेश की पालना मे दिनांक 11/09/2003 को अपीलार्थी के नाम पर आदेश जारी किया गया। इस प्रकार से आराजी नम्बर 45 मीन, 386 मीन क्षैत्रफल 5.12 है0 अपीलार्थी को चाइनाक्ले की माइनिंग लीज हेतु राज0 सरकार द्वारा आंवटित की गई है। भूमि अपीलार्थी को माइनिंग प्रयोजनार्थ आंवटित होने से अपीलार्थी के हित निहित है। अपीलार्थी को बगैर सुनवाई का अवसर दिये, बगैर सूचना दिए भूमि को अवैधानिक रूप से चारागाह मे दर्ज कर दिया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य होकर अपीलार्थी को आंवटित भूमि 5 बीघा 12 बिस्वा बिलानाम सरकार अपीलार्थी के नाम दर्ज फरमाई जावे। राज0 सरकार खान विभाग का आदेश दिनांक 12/05/1998 नक्शा खान विभाग की अनापत्ति एवं राज सरकार खान भू–विभान विभाग 2003 का आदेश प्रति संलग्न है।

4. राजकीय अभिभाषक द्वारा उल्लेख किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित मे किसी प्रकार की त्रुटि नही की गई है। ऐसी सूरत मे अपील अपीलान्ट खारीज की जावे।

5. लिखित बहस का अवलोकन एवं मनन किया गया। जिला कलेक्टर कार्यालय की पत्रावली एवं रिकार्ड का भी अवलोकन किया गया जिससे जाहिर है कि जिला कलेक्टर द्वारा ग्राम मुण का खेडा तहसील गंगरार मे चारागाह भूमि उपलब्ध नही होने के कारण ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा के प्रस्ताव अनुसार ग्राम मुण का खेडा की राजकीय बिलानाम आराजी नम्बर 45 मी रकबा 19.80 है0, आराजी नम्बर 48/485 मी रकबा 19.33 है0 तथा आराजी नम्बर 386 मी रकबा 6.48 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 45.61 है0 को राजस्थान भू–राजसव अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत चारागाह के रूप मे आरक्षित (सेटअपार्ट) करने हेतु प्रसारित आदेश क्रमांकः/राजस्व/सा.प्र.आ/12–6( )3/517 दिनांक 05.06.2003 मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही की है। फलतः अपील अपीलान्ट खारीज की जाती है एवं जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित उपरोक्त आदेश 05/06/2003 को यथावत रखा जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़